कार्यालय कलेक्टर कांकेर, जिला–कांकेर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

क्र./1720/कले/भू-अभि/ 2016 कांकेर, दिनांक 8/11/2016

जिला कांकेर के अंतर्गत निम्नानुसार ग्रामों के निम्नानुसार नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वन क्षेत्र के रकबा में कार्यपालन यंत्री, अति उच्च दाब निर्माण संभाग, छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या. द्वारा 132 के.व्ही. भानुप्रतापपुर – पखांजूर पारेषण लाईन निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

नारंगी वन क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र का विवरण :–

(1.) पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल

क्र.	खसरा नम्बर	प्रत्यावर्तन क्षेत्र (रकबा हेक्टे.में)	ग्राम का नाम
1.	79, 71	1.026	पुत्तरवाही
2.	267, 228	1.647	घोटिया
3.	13	3.634	विक्रमगंज
4.	492	0.540	कर्रामाड़
5.	1	1.129	कोण्डे
6.	1, 112, 170, 80, 79, 62, 43	4.196	चिखली
योग :–		12.172	

(2.) पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल

1.	678, 749, 539, 542	2.322	पी.व्ही.–34
2.	119, 123	0.527	हरनगढ़
योग :–		2.849	
महायोग :–		15.021	

राजस्व वनभूमि के प्रभावित क्षेत्र का विवरण :–

1.	59, 13	0.583	विक्रमगंज
2.	83, 83, 85	1.201	कोकड़े
3.	282	0.237	कर्रामाड़
4.	4	0.081	पलाचूर
5.	94, 97	0.421	पुड़ोमिचगांव
6.	1	0.432	कोण्डे
7.	67	0.351	दोड़देकादर
योग :–		3.306	

उपरोक्तानुसार जिला–कांकेर के अंतर्गत नारंगी वनभूमि (पूर्व / पश्चिम भानुप्रतापपुर) में 15.021 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र में 3.306 हे., कुल रकबा 18.327 हेक्टे. में 132 के.व्ही. लाईन निर्माण का कार्य कराने हेतु नारंगी एवं राजस्व वन क्षेत्र को प्रत्यावर्तन कराने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
जिला – कांकेर

वन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत गठित अनुविभाग स्तर की समिति की कार्यवाही बैठक का विवरण

यूजर एजेंसी कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित भिलाई द्वारा प्रस्तावित 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. भानुप्रतापपुर (पुत्तरवाही) से पखांजूर लाईन के निर्माण हेतु जिले के नीचे लिखे ग्राम (पुत्तरवाही, घोटिया, विक्रमगंज, कोकड़े, कर्रामाड, पलाचुर, हाहालद्दी, भुसकी, पुडोमिचगांव, कोण्डे, दोडदेकादर एवं चिखली) के आरक्षित वन, संरक्षित वन, नारंगी वन एवं राजस्व वन से गुजरने का प्रस्ताव है। अतः विद्युत लाईन निकालने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस संबंध में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 (3) के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों/अधिकारों के निवर्हन मे नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रकिया के अंतर्गत अनुविभागीय स्तर की समिति की बैठक दिनांक 05.08.2016 को आयोजित की गई । जिसमें निम्नानुसार समिति की सदस्यों ने भाग लिया ।

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भानुप्रतापपुर — अध्यक्ष
2. अनुविभागीय अधिकारी (वन.) भानुप्रतापपुर — सदस्य
3. मण्डल संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग भानु0 — सदस्य
4. श्री रतिराम करंगा जनपद पंचायत सदस्य भानुप्रतापपुर — सदस्य
5. श्रीमती बनीता बाई सलाम जनपद पंचायत सदस्य भानु0 — सदस्य
6. श्री पीलम कुमार नरेटी जनपद पंचायत सदस्य भानु0 — सदस्य

वन भूमि पर वन अधिकार के अधिभोग के संबंध में ग्राम पुत्तरवाही, घोटिया, विक्रमगंज, कोकड़े, कर्रामाड़, पलाचुर, हाहालद्दी, भुसकी, पुडोमिचगांव, कोण्डे, दोड़देकादर एवं चिखली की ग्राम सभाओं में स्थित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध मे पारित सकल्प पर विचार किया गया और यह पाया गया कि वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति/अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत कृषि, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग कर रहे है तथा अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी को भूमि में व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता प्रमाण–पत्र प्रदाय किया गया है। जो निम्नानुसार है –

क्रं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे)
1	पुत्तरवाही	निरंक	निरंक
2	घोटिया	निरंक	निरंक
3	विकमगंज	श्री वंशीराम पिता दशरू राम गोंड	0.178
		श्री राम प्रसाद पिता दुरसाय गोंड	0.405

4	कोकडे	श्रीमती कमलेश्वरी / भरोस गोंड	0.540
		श्री भरोस राम / मांझी गोंड	0.175
		श्री रजमन / अकालू गोंड	0.486
5	करामाड	श्रीमती रैन बाई पति दुकाल सिंह गोंड	0.237
6	पलाचूर	श्री फत्तेसिंह / झिटी गोंड	0.081
7	हाड़ालददी	निरंक	निरंक
8	भूसकी	निरंक	निरंक
9	पुड़ोमिचगाँव	बोधनी बाई बेवा धनीराम गोंड	0.097
		शोभी राम पिता बादु राम गोंड	0.324
10	कोण्डे	बीसाराम पिता सुकदु गोंड	0.432
11	दोड़देकादर	दुरूगसाय पिता मुल्ला गोंड	0.351
12	चिखली	निरंक	निरंक
	योग :–		3.306

ग्राम पुड़ोमिचगाँव एवं दोड़देकादर में राजस्व वन भूमि पर वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया है।

अतः गैर वन उदेदश्य अर्थात 132 के.व्ही. भानुप्रतापपुर (पुत्तरवाही) से पखांजूर तक विद्युत पारेषण लाईन हेतु अनुविभाग भानुपतापपुर में स्थित वन मण्डल भानुप्रतापपुर (पूर्व) रेंज मे 35.070 हे. वन भूमि के विपथन / प्रत्यावर्तन को समिति के बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

05/08/16
(अध्यक्ष)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
भानुप्रतापपुर

(सदस्य)
अनुविभागीय अधिकारी (वन)
भानुप्रतापपुर (पूर्व)

(सदस्य)
जनपद पंचायत
भानुप्रतापपुर

(सदस्य)
जनपद पंचायत
भानुप्रतापपुर

(सदस्य)
जनपद पंचायत
भानुप्रतापपुर

(सदस्य)
मंडल संयोजक
आदिम जाति कल्याण विभाग
भानुप्रतापपुर

वन भूमि के संबंध में अनुविभाग स्तरीय समिति की बैठक
दिनांक 04/08/2016

कलक्टर महोदय द्वारा मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे0 कम्पनी मर्यादित भिलाई छ0ग0 को गैरवानिकी कार्य हेतु जिला उत्तर बस्तर कांकेर में आरक्षित वनमंडल भानुप्रतापपुर पूर्व/पश्चिम के ग्राम प्रेमनगर पीव्ही 34 स्थित व्यपवर्तन हेतु वनभूमि रकबा 2.322 हे0 एवं ग्राम हरनगढ़ स्थित वनभूमि रकबा 0.527 हे0 कुल रकबा 2.849 हे0 को प्रस्तावित किया गया है। उक्त वनभूमि का अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों चर्चा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच की अध्यक्षता में एवं 50 प्रतिशत ग्रामसभा के तथा ग्राम वन समिति के मौजूदगी में दिनांक 24/05/2015 को ग्राम सभा का आयोजन किया जाकर परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराया गया है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के प्रावधान अनुसार प्रस्तावित भूमि क्षेत्र पर वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त करने वाले कोई पात्र व्यक्ति नहीं है एवं प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि हेतु कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है। इस प्रकार कंपनी द्वारा प्रस्तावित भूमि को 132 केव्ही विद्युत पारेषण लाईन कार्य के लिए व्यपवर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। जिसके संबंध में चर्चा हेतु अनुभाग स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04/08/2016 को अध्यक्ष श्री आर0 एस0 ठाकुर अनुविभागीय अधिकारी (रा) पखांजूर की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों की बैठक हुई। उक्त बैठक में निम्नानुसार माननीय सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. अनुविभागीय अधिकारी (वन) पूर्व कापसी पखांजूर	सदस्य
2. मंडल संयोजक (आदिम जाति कल्याण विभाग) पखांजूर	सदस्य
3. श्री अर्जुन राम नायक सदस्य जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा (पुरुष सदस्य अ.ज.जा.)	सदस्य
4. श्रीमती राजकुमारी मंडावी सदस्य जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा (महिला सदस्य अ.ज.जा.)	सदस्य
5. श्री मोहर सिंह उसेंडी अध्यक्ष जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा (पुरुष सदस्य अ.ज.जा.)	सदस्य

वन विभाग की ग्राम प्रेमनगर स्थित नारंगी वनभूमि रकबा 2.322 हे0 एवं हरनगढ स्थित नारंगी वन भूमि रकबा 0.527 हे0 पर उक्त कंपनी के प्रयोजनार्थ व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि का सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी, संबंधित हल्का पटवारी द्वारा मौका जांच किया गया है। जांच प्रतिवेदन में प्रस्तावित वनभूमि का सर्वे पंचनामा सलग्न किया गया है जो कि नारंगी क्षेत्रान्तर्गत आता है। पुनर्विचार हेतु संबंधित हल्का पटवारी, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कापसी, सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत प्रेमनगर एवं हरनगढ के ग्रामसभा की बैठक दिनांक 24 / 05 / 2016 का कार्यवाही विवरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अभिलेखों एवं ग्रामसभाओं द्वारा पारित संकल्पों का अवलोकन किया गया।

प्रस्तावित नारंगी वनक्षेत्र पर विलुप्त प्राय जनजाति समूह के सदस्य निवासरत नहीं है तथा परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं होना पाया गया है।

इस प्रकार ग्राम हरनगढ के नारंगी वनक्षेत्र कक्ष कमांक / खसरा कमांक 119, 123 कुल रकबा 0.527 हे0 एवं ग्राम पीव्ही 34 प्रेमनगर के नारंगी क्षेत्र कक्ष कमांक / खसरा कमांक 678, 749, 539, 542 कुल रकबा 2.322 हे0 भूमि गैरवनिकी प्रयोजन हेतु आवेदक छ0ग0 विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित भिलाई को 132 केव्ही विद्युत पारेषण लाईन स्थापना हेतु व्यपवर्तन किये जाने प्रस्तावित किया जाता है।

04/08/2016

श्री नोहर सिंह उसेंडी
अध्यक्ष जनपद पंचायत, कोयलीबेड़ा

अध्यक्ष
जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा
जिला-उ.ब.कांकेर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पखांजूर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पखांजूर
जिला उ.ब.कांकेर (छ.ग.)

श्री ... नायक
सदस्य जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा

जनपद सदस्य
सभापति (कृषि) स्थायी समिति
जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा
जिला उ.ब.कांकेर(छ.ग.)

04/08/2016

उपवनमण्डलाधिकारी (वन)
पूर्व कापसी

उपवनमण्डलाधिकारी
पूर्व कापसी

सदस्य

श्रीमती राजकुमारी मंडावी
सदस्य जनपद पंचायत, कोयलीबेड़ा

निर्वाचन क्षेत्र क्र. 08
जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा
जिला उ.ब.कांकेर छ.ग.

मंडल संयोजक
(आदिम जाति कल्याण विभाग) पखांजूर

मंडल संयोजक
आदिवासी विकास खण्ड कोयलीबेड़ा
जिला उ.ब.कांकेर (छ.ग.)

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल भानु.पुर पूर्व में ग्राम पुत्तरवाही के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 1.026 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 1.026 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि.......................हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम पुत्तरवाही, तहसील भानुप्रतापपुर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 29.06.2015 (प्रदर्श–"अ") एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–"ब") पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव भीरागांव ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमति बेबी गावड़े की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 29./06/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें, 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्वन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	पुत्तरवाही	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 29/06/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार "**अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006**" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. 29/06/2015 /दिनांक..............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

(सील)

कलेक्टर
उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

कलेक्टर एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला...

दिनांक:–08/07/2015

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. नर्या, भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल **भानु.पुर पूर्व में ग्राम घोटिया,** के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 1.647 हे0** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि **1.647 हे0** एवं/राजस्व वन भूमि........–........हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम घोटिया तहसील भानुप्रतापपुर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **13/05/2015** .(प्रदर्श–''अ'') एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–''ब'')** पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **घोटिया ग्राम** के सरपंच **श्री/ सुरेन्द्र उइके** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **13./05/2015** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें. 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	घोटिया	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **13/05/2015** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. **13/05/2015** /दिनांक.............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

(सील)

कलेक्टर
उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

कलेक्टर एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला......................................

दिनांक:–08/07/2015

प्रदर्श–स"

प्रमाण –पत्र

मेसर्स 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल **भानु.पुर पूर्व में ग्राम विकमगंज** के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 3.634 हे0** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि **3.634 हे0** एवं/राजस्व वन भूमि **0.583** .हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा **ग्राम विकमगंज** तहसील भानुप्रतापपुर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **13/05/2015** .**(प्रदर्श–"अ")** एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–"ब")** पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **घोटिया ग्राम** के सरपंच **श्री/ सुरेन्द्र उइके** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **13./05/2015** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें. 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	विकमगंज	श्री बंशीराम पिता दशरूराम जाति गोड़ श्री रामप्रसाद पिता दूरसाय जाति गोडत्र	0.178 0.405
		योगः–	0.583

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **13/05/2015** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **"अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. 13/05/2015 /दिनांक.............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

नाम ( )

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श–स"

प्रमाण –पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल **भानु.पुर पूर्व** में **ग्राम कोकड़े** के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 1.004 हे0** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि **1.004 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि 1.201** .हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा **ग्राम कोकड़े** तहसील भानुप्रतापपुर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 13/05/2015 .(**प्रदर्श–"अ"**) एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (**प्रदर्श–"ब"**) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव जातावाड़ा ग्राम के सरपंच **श्री/श्रीमति सुरजबाई** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 13./05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें. 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	कोकड़े	श्री ति कमलेश्वरी / भरोसाजाति गोड़ श्री भरोसाराम /मांझी जाति गोड़ श्री रजमन/अंकालु जाति गोड़	0.540 0.175 0.486
		योग:–	1.201

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 13/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **"अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. 13/05/2015 /दिनांक.............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

नाम ( )

कलेक्टर

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला उ. ब. कांकेर छ.ग. ....

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श–स"

प्रमाण –पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कोकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल भानुपुर पूर्व में ग्राम कार्रामाड़ के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 0.540 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 0.540 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि 0.237 हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम कर्रामाड़ तहसील दुर्गकोंदल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 08/06/2015 .(प्रदर्श–"अ") एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–"ब") पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव कर्रामाड़ ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमति बरतनीन घनेलिया की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 08./06/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें. 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	कर्रामाड़	श्री मति रैनबाई पति दुकालसिंग / जाति गोड़	0.237
		योग:–	0.237

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपरिथिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 13/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **"अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. 08/06/2015 /दिनांक..........................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

नाम ( )

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल **भानु.पुर पूर्व में ग्राम पलाचूर** के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 7.746 हे0** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र **की वन भूमि 7.746 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि 0.081 हे0** जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा **ग्राम पलाचूर, तहसील दुर्गकोंदल** में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **16/05/2015** .(**प्रदर्श–''अ''**) एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (**प्रदर्श–''ब''**) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव पलाचूर ग्राम के सरपंच **श्री/श्री मति संजू नरेटी** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **16/05/2015** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें, 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	पलाचूर	**श्री फत्तेसिंग /श्री झिटी जाति गोंड़**	0.081
		योगः–	0.081

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **16/05/2015** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक, **16/05/2015** /दिनांक.............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

नाम ( )

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल भानु.पुर पूर्व में ग्राम हाहालद्दी के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 2 .911 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 2.911 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि........................हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम हाहालद्दी, तहसील दुर्गकोंदल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 16/05/2015 .(प्रदर्श–''अ'') एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–''ब'') पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव पलाचूर ग्राम के सरपंच श्री/श्री मति संजू नरेटी की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 16/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्वन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	हाहालद्दी	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार ''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006'' की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. 16/05/2015 /दिनांक..............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

कलेक्टर
उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

नाम
कलेक्टर एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला...

दिनांक 08/07/2015

154

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसर्स 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल **भानु.पुर पूर्व में ग्राम भुसकी** के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 5.808 हे0** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 5.808 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि........................हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा **ग्राम भुसकी, तहसील दुर्गकोंदल** में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **16/05/2015 (प्रदर्श–''अ'')** एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–''ब'')** पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव भुसकी **ग्राम** के सरपंच **श्री नरसिंग गावड़े** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **16/05/2015** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्वन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	भुसकी	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **16/05/2015** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. **16/05/2015** /दिनांक..............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील
कलेक्टर
उ.ब. कांकेर (छ.ग.)
नाम
कलेक्टर एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला..

दिनांक ..08/07/2015

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल भानु.पुर पूर्व में ग्राम कोडें के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 2.805 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र **की वन भूमि 2.805 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि** 0.432 .हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम कोडें तहसील दुर्गकोंदल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 16/05/2015 .(प्रदर्श–''अ'') एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–''ब'') पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव कोडें ग्राम के सरपंच श्री **उमेंदसिंह कल्लो** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 16/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें, 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	कोडें	बीसाराम पिता सुकदू गोंड़	0.432
		योग	0.432

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. 16/05/2015 /दिनांक.............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

नाम ( )

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

कलेक्टर

दिनांक 08/07/2015

156

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसर्स 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल भानुपुर पूर्व /पश्चिम में ग्राम चिखली के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 7.949 हे0** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि **7.949 हे0** एवं/राजस्व वन भूमि.........................हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम चिखली तहसील दुर्गकोंदल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **18/05/2015** .(**प्रदर्श–''अ''**) एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (**प्रदर्श–''ब''**) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव चिखली ग्राम के सरपंच **श्री दारासिंह** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **18/05/2015** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें. 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्वन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	चिखली	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **18/05/2015** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. **18/05/2015** /दिनांक..............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

कलेक्टर
उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

नाम
कलेक्टर एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला..

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसर्स 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल भानु.पुर पूर्व /पश्चिम में ग्राम प्रेमनगर पी.व्ही–34 के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 2.322 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 2.322 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि......................हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम प्रेमनगर तहसील पखांजूर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 24/05/2015 .(प्रदर्श–''अ'') एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–''ब'') पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव प्रेमनगर ग्राम के सरपंच श्री कमलेश हलधर की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 24/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें, 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्रं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	प्रेमनगर पी.व्ही–34	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार ''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006'' की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 24/05/2015 /दिनांक...............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

कलेक्टर

नाम उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला......................................

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श–स"

प्रमाण –पत्र

मेसर्स 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमण्डल **भानुपुर पूर्व /पश्चिम** में **ग्राम हरनगढ़** के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 0.527 हे0** वन भूमि के प्रकरण नें अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 0.527 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि.........................हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा **ग्राम हरनगड़ तहसील पखांजूर** में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **24/05/2015** .(**प्रदर्श–"अ"**) एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (**प्रदर्श–"ब"**) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव हरनगढ़ ग्राम के सरपंच **श्री मति प्रियंका नरेटी** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **24/05/2015** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें, 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	हरनगढ़	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **24/05/2015** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **"अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक **24/05/2015** /दिनांक..............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

कलेक्टर
उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

नाम

कलेक्टर एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला...

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमण्डल भानुपुर पूर्व में ग्राम पुड़ोमिचगांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा .... हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित **क्षेत्र की वन भूमि** ....हे0 एवं/**राजस्व वन भूमि** 0.421 .हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम पुड़ोमिचगांव तहसील दुर्गकोंदल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 17/05/2015 .(प्रदर्श–''अ'') एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (**प्रदर्श–''ब''**) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **पुड़ोमिचगांव ग्राम** के सरपंच **श्री नरसिंग गावड़े** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **17/05/2015** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें, 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	पुड़ोमिचगांव	बोधनी बाई बेवा धनीराम गोंड़	0.097
		शोभीराम पिता बादुराम गोंड़	0.324
		योग:–	0.421

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. 17/05/2015 /दिनांक..............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

नाम ( )

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसर्स 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल भानु.पुर पूर्व /पश्चिम में ग्राम दोड़देकादर के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा ....हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की **वन भूमि** ....हे0 एवं/**राजस्व वन भूमि** 0.351 हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम दोड़देकादर तहसील दुर्गकोंदल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 17/05/2015 .(**प्रदर्श–''अ''**) एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (**प्रदर्श–''ब''**) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का **प्रस्ताव दोड़देकादर ग्राम** के सरपंच **श्री दारासिंह** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 17/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें. 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	दोड़देकादर	दुरूगसाय पिता मुल्ला गोंड़	0.351
		योग	0.351

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. 17/05/2015 /दिनांक.............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

नाम ( )

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

दिनांक 08/07/2015